न्यायालयः श्री बृजेश मणि त्रिपाठी, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
उत्पाद केस संख्या–51/2018
वाद संख्या–C2–51/2018
सरकार बनाम् नौशाद आलम

FORM-A

IN THE COURT OF EXCLUSIVE SPECIAL JUDGE, EXCISE, SHEOHAR
Present:- Sri Brijesh Mani Tripathi, Exclusive Special Judge, Excise,
(Date of Judgment:- 02.04.2026)
Excise No-63/2016, Registration No.BRSO010005702018
Case No. C2-51/2018,
Offence:- U/s-30(a) Bihar Prohibition and Excise Act,
District-SHEOHAR.

COMPLAINANT	अशोक कुमार झा, स0अ0नि0, उत्पाद, शिवहर।
ACCUSED	01. नौशाद आलम, पिता–सलिम मियॉ, सा0–मिनापुर बलहॉ, थाना–पिपराही, जिला–शिवहर
REPRESENTED BY COMPLAINANT	श्री दिलीप कुमार, विद्वान अपर विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद।
REPRESENTED BY ACCUSED PERSON	श्री मुन्ना कुमार तिवारी, विद्वान अधिवक्ता।

FORM-B

Date of Offence	08-05-2018
Date of F. I. R.	08-05-2018
Date of Charge sheet	07-07-2018
Date of Cognizance	23-09-2021
Date of Framing Charges	15-04-2024
Date of Commencement of Evidence	07-08-2024
Date of which judgment is reserved	18-03-2026
Date of judgment	02-04-2026
Date of the Sentencing order, if any	

Accused Details

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offence Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of Detention during Trial for purpose of section 428 of Cr.P.C.
01.	नौशाद आलम	09-05-2018	11-05-2028	30(a) Bihar Prohibition and Excise Act,	Acquitted		

FORM-C

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESS

A. Prosecution :

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
01.	सुमिता कुमारी	अ0सा0सं0–01,

B. Defence Witness, if any ; -

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

C. Court Witness, if any ;-NIL

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS)
–	–	–

न्यायालयः श्री बृजेश मणि त्रिपाठी, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
उत्पाद केस संख्या–51/2018
वाद संख्या–C2–51/2018
सरकार बनाम् नौशाद आलम

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURTS EXHIBITS

A. PROSECUTION;-

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
1.	प्रदर्श–पी1	जप्ती सूची
2.	प्रदर्श–पी2	जप्ती सूची पर सुमिता कुमारी द्वारा किया गया हस्ताक्षर
3.	प्रदर्श–पी3	जप्ती सूची पर अशोक कुमार द्वारा किया गया हस्ताक्षर
4.	प्रदर्श–पी4	जप्ती सूची पर प्रवीण कुमार सिंह द्वारा किया गया हस्ताक्षर
5.	प्रदर्श–पी5	जप्ती सूची पर सिया राम साह द्वारा किया गया हस्ताक्षर

B. DEFENCE ;

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
–	–	–

C. COURT EXHIBITS ; NIL

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
–	–	–

D. MATERIAL OBJECTS ;

SR. NO.	MATERIAL OBJECT NUMBER	DESCRIPTION
–	–	–

निर्णय

01. उपरोक्त नामित अभियुक्त नौशाद आलम के विरूद्व दिनांक–15.04.2024 के अंतर्गत धारा–30 (ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत आरोप का गठन किया गया है एवं अभियुक्त का उपरोक्त धारा के अन्तर्गत विचारण किया गया।

02. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि सूचक गुप्त सूचना के आधार पर अपने सहयोगी अधीनस्थ उत्पाद कर्मियों एवं सशस्त्र बल के सहयोग से मीनापुर बलहॉ में छापामारी किया। छापामारी के कम में उपस्थित गवाहों के समक्ष विधिवत तलाशी लेने के कम में प्लास्टिक के एक नीले डब्बे में अवैध ताड़ी का लगभग पॉच लीटर अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुआ। प्रदर्श को जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसी आधार पर कांड संस्थित किया गया।

03. उपरोक्त नामित अभियुक्त शंभु सहनी के विरूद्व अभियोजन प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद दिनांक–23.09.2021 को अंतर्गत धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान लिया गया एवं अभियुक्त को अभियोजन प्रतिवेदन प्राप्त कराने के पश्चात् दिनांक–15.04.2024 को अंतर्गत धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत आरोप का गठन किया गया।

न्यायालयः श्री बृजेश मणि त्रिपाठी, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
उत्पाद केस संख्या–51/2018
वाद संख्या–C2–51/2018
सरकार बनाम् नौशाद आलम

04. साक्ष्योंपरांत अभियुक्त का बयान दिनांक–21.02.2026 को धारा–313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त को हिन्दी में अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया तथा अभियोजन के सभी कथनों का खंडन किया।

05. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप को अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संभी संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

मंतव्य

06. अभियोजन की ओर से अपने मामले के समर्थन में अभियोजन प्रतिवेदन के साक्षी कॉलम में वर्णित कुल चार वर्णित साक्षियों में से एक साक्षी का साक्ष्य कराया गया है, जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–01. सुमिता कुमारी हैं।

07. दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श अंकित कराये गये हैं, जो निम्नवत हैः–

A. PROSECUTION:-

SR. NO.	EXHIBIT NUMBER	DESCRIPTION
1.	प्रदर्श–पी1	जप्ती सूची
2.	प्रदर्श–पी2	जप्ती सूची पर सुमिता कुमारी द्वारा किया गया हस्ताक्षर
3.	प्रदर्श–पी3	जप्ती सूची पर अशोक कुमार द्वारा किया गया हस्ताक्षर
4.	प्रदर्श–पी4	जप्ती सूची पर प्रवीण कुमार सिंह द्वारा किया गया हस्ताक्षर
5.	प्रदर्श–पी5	जप्ती सूची पर सिया राम साह द्वारा किया गया हस्ताक्षर

02/04/26

बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

08. **अभियोजन साक्षी संख्या–01. सुमिता कुमारी** ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि घटना दिनांक–08.05.2018 की समय शाम 05:45 बजे की है। उस समय मैं अशोक कुमार झा, सियाराम साह, द्रविण कुमार सिंह, सैफ बल, गृहरक्षक बल के साथ मीनापुर बलहॉ पहुँचकर नौशाद आलम के यहॉ छापामारी किये। छापामरी के दौड़ान प्लास्टिक के गैलन में पॉच लीटर ताड़ी बरामद हुआ। ताड़ी को जप्त कर जप्ती सूची बनाया गया। जप्ती सूची अशोक कुमार झा के द्वारा तैयार किया गया है, जिस पर उनका हस्ताक्षर है, मैं उनके हस्ताक्षर को पहचानती हूँ। जिसे प्रदर्श–पी1 अंकित किया जाता है। जप्ती सूची पर मेरा हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानती हूँ, जिसे प्रदर्श–पी2 अंकित किया जाता है। जप्ती सूची पर उत्पाद सिपाही अशोक कुमार, द्रविण कुमार सिंह एवं सियाराम साह का हस्ताक्षर है, जिनके हस्ताक्षर को मैं पहचानती हूँ, इसे प्रदर्श क्रमश– पी3, पी4 एवं पी5 अंकित किया जाता है। अभियुक्त को पहचानती हूँ।

न्यायालयः श्री बृजेश मणि त्रिपाठी, अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, शिवहर।
उत्पाद केस संख्या–51/2018
वाद संख्या–C2–51/2018
सरकार बनाम् नौशाद आलम

प्रतिपरीक्षण के कम में इस साक्षी ने कथन किया है कि जिस घर से ताड़ी बरामद हुआ था, उसकी चौहदी मैं नहीं बता सकती हूँ। घर किस चीज का बना हुआ था, ध्यान में नहीं है। जिस घ ार से ताड़ी बरामद हुआ था उस घर का रूख किस ओर का है, याद नहीं है। घर में दरवाजा लगा हुआ था या नहीं याद नहीं है। घर में कितने रूम थे मुझे जानकारी नहीं है। घर के किस कोने से ताड़ी बरामद हुआ था नहीं बता सकती हूँ। घर में मुदालह के परिवार के लोग रहते थे या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। मैं घर के अंदर नहीं गयी थी। घर में बरामद ताड़ी के अलावे घर में अन्य सामान था। सामान का नाम नहीं बता सकती हूँ। जिस घर में छापामारी हुआ वह घर आवासीय या मवेशी का रहने वाला है, मुझे जानकारी नहीं है। ताड़ी मेरे समक्ष बरामद किया गया था। गैलन ब्लू रंग का था। गैलन में ताड़ी है यह मेरे सर के द्वारा देखा गया था, मैं भी देखी थी। शिवहर से कितने बजे निकले थे समय याद नहीं है। मीनापुर बलहॉ जाने मे आधा घंटा का समय लगा था। मीनापुर बलहॉ पिपराही होकर गये थे या धनकौल होकर गये थे याद नहीं है। घटनास्थल पर कब पहूँचे समय याद नहीं है। घटनास्थल पर 10–15 मिनट रूके थे। इस बीच में बहुत से लोग जमा हो गये थे, जिनका नाम नहीं बता सकती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं छापामारी में नहीं गये थी एवं मुदालह के घर से कोई ताड़ी की बरामदगी नहीं हुई थी एवं अभियुक्त को झूठे केस में फंसा दिया गया है।

09. प्रस्तुत वाद में बहस के दौरान बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत वाद में अभियोजन के द्वारा मात्र एक साक्षी को प्रस्तुत किया गया। सूचक एवं जप्ती सूची के साक्षियों में से मात्र एक साक्षी को प्रस्तुत किया गया है एवं अन्य साक्षियों को प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं उसका कोई कारण भी दर्शित नहीं किया गया। जप्त बरामद सामान का कोई जॉच प्रतिवेदन भी समर्पित नहीं किया गया। किस पदाधिकारी द्वारा जप्त अभिकथित जप्त ताड़ी की जप्ती सूची तैयार की गई, स्पष्ट नहीं है। साक्षी ने अपने साक्ष्य में मात्र यह कहा है कि जप्ती सूची पर मेरा हस्ताक्षर है तथा मैं घटना के विषय में कुछ नहीं जानता हूँ। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोपों को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए उसे प्रस्तुत वाद से दोषमुक्त किये जाने का निवेदन है।

02/04/18

10. दूसरी तरफ अभियोजन की ओर से विद्वान अपर विशेष लोक अभियोजक के द्वारा कथन किया गया कि विचारण अभियुक्त के पास से अवैध ताड़ी की बरामदगी हुई है, जिसका अभियोजन साक्षी ने अपने साक्ष्य में समर्थन किया है तथा अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्व लगाए गए आरोपों को साबित करने में सफल रहा है।

11. उभय पक्षों के बहस को सुना, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि अभियोजन द्वारा अपने वाद के समर्थन में मात्र एक साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या–1 सुमिता कुमारी को प्रस्तुत किया गया, अन्य कोई अभियोजन साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है न हीं इसका कोई कारण दर्शित किया गया है। एक मात्र प्रस्तुत

साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या–1 द्वारा जप्ती सूची पर उत्पाद सिपाही अशोक कुमार, द्रविण कुमार, सियाराम साह की हस्ताक्षर की पहचान की गई है, एवं प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि घर की चौहदी नहीं बता सकती, घर किस चीज से बना था, घर का रूख किस ओर का है, घर में कितने कमरे या घर के किस कोने से उक्त प्रदार्थ बरामद हुआ, इन तथ्यो के संबंध में इस साक्षी को कोई जानकारी नहीं है। इस साक्षी को यह भी ज्ञात नही है कि उक्त घर आवासीय या मवेशी का था। प्रस्तुत मामले में सूचक को भी परीक्षित नहीं कराया गया। जप्त प्रदार्थ का जॉच प्रतिवेदन, विनिष्टीकरण रिपोर्ट भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि जप्त वस्तु की प्रकृति क्या थी एवं वह धारा 30(ए) के अन्तर्गत आता है या नहीं।

उपरोक्त विवेचना के पश्चात् न्यायालय का मत है कि प्रस्तुत मामलें में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पूर्णरूप से अपर्याप्त श्रेणी का है एवं इन साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के विरूद्व लगाये गये आरोप साबित या प्रमाणित नहीं होते है। जिससे संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में जाना स्वाभाविक है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपने वाद को युक्तियुक्त संदेहो से परे साबित करने में पूर्णरूप से असफल रहा है। तद्नुसार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

12. उपरोक्त नामित अभियुक्त–नौशाद आलम को न्यायालय के द्वारा धारा–30(ए) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत पर्याप्त अभियोजन साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है एवं उन्हें उनके बंध–पत्र के दायित्व सें उन्मोचित किया जाता है।

02/04/26

13. निर्णय मेरे द्वारा लेखापित, संशोधित वो हस्ताक्षरित होने के बाद आज दिनांक 02.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित एवं शुद्विकृत

Brijesh Mani Tripathi

(बृजेश मणि त्रिपाठी)
अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद,
शिवहर।
दिनांक–02.04.2026

Brijesh Mani Tripathi

(बृजेश मणि त्रिपाठी)
अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद,
शिवहर।
दिनांक–02.04.2026